



2026:RJ-JP:16799



[2026:RJ-JP:16799]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 1504/2026

Mukhram Singh S/o Shri Sriram Gurjar, Aged About 41 Years, R/o Village Nagla Dhand Kamalpura, Police Station Bhusawar, District Bharatpur, Presently Residing At H.no. 3/378, Swami Vivekanand Nagar, Police Station R.k. Puram , Kota City, Raj.

----Petitioner

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.
2. Ranjeet Singh S/o Shri Suraj Singh, Aged About 30 Years, R/o Indra Gandhi Nagar, Dcm, Udyog Nagar, Kota City, Rajasthan.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Dharmendra Pareek, Adv.
For Respondent(s) : Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

21/04/2026

1. याची-अभियुक्त की ओर से यह याचिका अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत परिवादी-प्रत्यर्थी की ओर से पुलिस थाना-आर.के. पुरम, कोटा शहर में पंजीबद्ध करवायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 183/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 109(1) बी.एन.एस. को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।
2. विद्वान अधिवक्ता याची का निवेदन है कि वास्तव में परिवादी और उसके साथी द्वारा अभियुक्त की भतीजी के साथ छेड़छाड़ व



अश्लील हरकत की गयी थी, जिसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट 185/2025 दर्ज करायी थी, बचाव में मिथ्या आधारों पर परिवादी की ओर से वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 183/2025 दर्ज करायी है। अभियुक्त—याची सरकारी विद्यालय में अध्यापक है, अकारण उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, अंत में उपरोक्त आधारों पर यह प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा याचिका का विरोध करते हुए जाहिर किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर संज्ञेय अपराध के तत्व प्रकट हो रहे हैं, इस याचिका के माध्यम से अभियुक्त द्वारा लिए गये बचाव विचारण का विषय है, अन्त में याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया।

5. वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादी रणजीत द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त द्वारा उसे जान से मारने की नीयत से उस पर वाहन एक से अधिक बार चढ़ाने का प्रयास किया तथा उस दौरान परिवादी/आहत के पैरों में गंभीर चोटें आयीं तथा अस्थिभंग कारित हुआ। घटना जीतेन्द्र द्वारा देखी गयी तथा सी.सी. टी.वी. फुटेज में भी कैद हुई। पुलिस द्वारा इस मामले में अभियुक्त के विरुद्ध मामला प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र प्रस्तुत किया है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा State of Uttar Pradesh and Anrs. Vs. Akhil Sharda and Ors with Sanjeet Jaiswal Vs. State of Uttar Pradesh and Ors. 2022 SCC OnLine SC 820 के पैरा संख्या—07 में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है:—



"7. Having gone through the impugned judgment and order passed by the High Court by which the High Court has set aside the criminal proceedings in exercise of powers under Section 482 Cr.P.C., it appears that the High Court has virtually conducted a mini trial, which as such is not permissible at this stage and while deciding the application under Section 482 Cr.P.C. As observed and held by this Court in a catena of decisions no mini trial can be conducted by the High Court in exercise of powers under Section 482 Cr.P.C. jurisdiction and at the stage of deciding the application under Section 482 Cr.P.C., the High Court cannot get into appreciation of evidence of the particular case being considered."

7. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Kamaladevi Agarwal V. State of W.B. & Ors. (2002) 1 SCC 555 के पैरा संख्या-07 में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है:-

"7. This Court has consistently held that the revisional or inherent powers of quashing the proceedings at the initial stage should be exercised sparingly and only where the allegations made in the complaint or the FIR, even if taken at the face value and accepted in entirety, do not prima facie disclose the commission of an offence. Disputed and controversial facts cannot be made the basis for the exercise of the jurisdiction."

8. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त कराने हेतु अन्तर्निहित



शक्तियों का प्रयोग करते समय प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित आरोप तथा अभियुक्त की ओर से लिए गये बचाव व अन्य सामग्री की सत्यता, विश्वसनीयता आदि के संबंध में संक्षिप्त जांच अथवा संक्षिप्त विचारण अनुज्ञेय नहीं है। वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर संज्ञेय अपराध के तत्व प्रकट हो रहे हैं। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायालयीन प्रक्रिया का दुरुपयोग करने हेतु दर्ज करायी गयी हो, ऐसा स्पष्ट मामला नहीं है तथा लगाये गये आरोप अपने आप में असंभाव्य हो, ऐसी स्थिति भी नहीं है। अभियुक्त द्वारा जो बचाव लिये गये हैं, वे विचारण के दौरान सुसंगत हो सकते हैं। अभियुक्त द्वारा लिए गये बचाव मात्र आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किया जाना उचित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने हेतु अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग संयत तरीके से व पूर्ण सावधानी के साथ अपेक्षित है। सामान्य रूप से जब तक सुदृढ आधार नहीं हों, अनुसंधान अथवा विचारण की प्रक्रिया को रोका जाना अथवा बाधित किया जाना उचित नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचानानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त करने हेतु धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत क्षेत्राधिकारिता का प्रयोग हस्तगत मामले में किया जाना उचित नहीं है।

10. परिणामतः यह याचिका खारिज की जाती है, स्थगन प्रार्थना पत्र भी उक्त प्रकार से अस्वीकार किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J